फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी–प्रथम, जयपुर

श्रवण **बनाम** सरकार

मुकदमा संख्या / वर्ष : 42 / 2018

क्र0 सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17.07.19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र न्याय आपके द्वारा में केम्प भम्भौरी पर दिनांक 01.06.2018 को तहसीलदार जयपुर द्वारा ग्राम कालवाड, तहसील जयपुर के राजस्व रिकार्ड 2071–74 अनुसार खसरा नम्बर 96/2 रकबा 19 बीधा की खातेदारी श्रवणसिंह पि0 गुमानसिंह, जाति–राजपूत साखिन देह राहिन एसबीबीजे शाखा कालवाड मुर्तहीन के नाम दर्ज है। तहसीलदार जयपुर द्वारा प्रेषित दस्तावेजात् जिसमें सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.05.2018 पटवारी कालवाड द्वारा तैयार जिसमें अन्य उपस्थित व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर है। न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पडौसी खातेदारों की सुनवाई किये जाने पर उपस्थित पडौसी खातेदार रामकरण, छीतर, शंकर, हनुमानसिंह, भंवरसिंह, प्रेमकंवर, रामेश्वर, मदन, रामदेव, रामप्रसाद व श्यामलाल कुमावत की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् अन्य पडौसी खातेदारों द्वारा पेश प्रार्थना पत्रों व सीमाज्ञान का अवलोकन व बहस मनन करने पर पाया की खसरा नम्बर 96/2 में से मौके पर सडक निकल गई है। यह सडक PWD की है व चालू है। इस सडक की तरमीम लैण्ड रिकोर्ड मौडनाईजेशन के अन्तर्गत किया जा रहा हैं अतः खसरा नम्बर 96/2 में से मौके पर चालू सडक की तरमीम उपरान्त खसरा नम्बर 96/2 एवं उसके लगवा सीमा [illegible] खातेदारो की भूमि की सीमा (लगवा) [illegible] की उपस्थिति में निर्धारित करते हुए खसरा नम्बर 96/2 की पत्थरगढी [illegible] का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार जयपुर को उक्तानु[illegible] निर्देश जारी हो साथ ही तहसीलदार स्वयं के स्तर से समस्त पडौसी खातेदार को मौके पर उपस्थिति हेतु पाबन्द करे। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:49:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner